न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/82 /13	19.03.2013	14.06.2018

उनवान

1. मु0 रेशमा बाई पत्नी अनिल कुमार उर्फ पप्पूराम जाति ओड राजपूत।
2. गोलू पुत्र अनिल कुमार उर्फ पप्पूराम जाति ओड राजपूत।
3. लालू पुत्र अनिल कुमार उर्फ पप्पूराम जाति ओड राजपूत नाबालिग जर्ये मात व सरपरस्त मु0 रेशमा निवासीगण सहजपुर हाल निवासी मूंडियाखेडा तहसील किशनगढ जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 808 रकबा 0.16 हैक्ट0 का 1/5 भाग तथा 804 रकबा 0.27 हैक्ट0 सालिम व 792 रकबा 0.54 हैक्ट0 का 3/4 भाग ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो वादीगण को उनके पति व पिता श्री अनिल कुमार से विरासत में प्राप्त हुई है। जिसका इन्तकाल स्वीकार होकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में आ चुका है। वादीगण के पति व पिता अनिल कुमार को अनिल कुमार के साथ–साथ पप्पूराम के नाम भी जाना पहचान जाता था। यही नाम पप्पूराम वादिया सं0 1 के राशनकार्ड तथा वोटर कार्ड में तथा वादी सं0 2 के वोटरकार्ड व शैक्षणिक दस्तावेजो में व वादी सं0 3 के शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज है। अनिल कुमार तथा पप्पूराम दोनों एक ही व्यक्ति है तथा एक ही व्यक्ति के दो नाम है जो वादीगण के पति व पिता थे। चूंकि वादीगण के पति व पिता को पप्पूराम के नाम से भी जाना पहचाना जाता था इस कारण से राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति व पिता के नाम अनिल कुमार के आगे उर्फ पप्पूराम और दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादी सं0 3 का सही व वास्तविक नाम लालू है तथा यही

नाम उसके समस्त शैक्षणिक दस्तावेजो व वादीया सं0 3 की माता वादिया सं0 1 के नाम से बने राशनकार्ड में दर्ज है। वादिया सं0 1 तथा मृतक अनिल कुमार उर्फ पप्पूराम के छोलू नाम की कोई सन्तान नही है। लेकिन सहबन से अनिल कुमार उर्फ पप्पूराम का जो इन्तकाल विरासत दर्ज हुआ है उसमें वादी लालू का नाम लालू के स्थान पर छोलू दर्ज हो गया है। तथा इन्तकाल के आधार पर ही जमाबन्दी आदि में भी छोलू दर्ज हो गया है जो गलत है तथा कलमजन होकर उसके स्थान पर लालू दर्ज होने योग्य है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर यह करार दिया जावे कि वादीगण के पति और पिता अनिल कुमार को इस नाम के साथ–साथ पप्पूराम के नाम से भी जाना जाता है तथा वादीगण अनिल कुमार के नाम के आगे उर्फ पप्पूराम और राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है तथा यह भी करार दिया जावे कि वादी सं0 1 व उसके पति अनिल कुमार के छोलू नाम की कोई सन्तान नही है बल्कि उसके स्थान पर लालू है तथा इन्तकाल विरासत अनिल कुमार तथा उसके आधार पर जमाबन्दी में जो छोलू का नाम आया वह वादी लालू के स्थान पर गलत आ गया है तथा छोलू के स्थान पर लालू दर्ज होने योग्य है और उक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराये जाने की कृपा करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलबी किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादीगण अपने पति व पिता अनिल कुमार के नाम के आगे '' उर्फ पप्पूराम '' का इन्द्राज दर्ज कराना चाहते है। जबकि प्रस्तुत रिकार्ड राजस्व में पूर्व में पप्पूराम दर्ज कराने हेतु कोई आधार प्रस्तुत नही किया है। केवल पहचान पत्र, राशनकार्ड, मार्कशीट आदि को आधार बनाया है। राशनकार्ड में भी पप्पूराम मशकूक कर इन्द्राज किया जाना प्रतीत होता है। वादी सं0 3 लालू उसके नामान्तकरणों में दर्ज छोलू नाम के स्थान पर लालू सही कराना चाहता है। जबकि नामान्तकरण सं0 351 दिनांक 01.05.1999, 347 दिनांक 01.05.1999 छोलू नाम से ही स्वीकृत हुए है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर में दिनांक 14.06.2018 का पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर सही नाम की दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 808 रकबा 0.16 हैक्ट0 का 1/5 भाग तथा 804 रकबा 0.27 हैक्ट0 सालिम व 792 रकबा 0.54 हैक्ट0 का 3/4 भाग ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण अनिल कुमार के नाम के आगे उर्फ पप्पूराम व वादी सं0 1 व उसके पति अनिल कुमार के छोलू नाम की कोई सन्तान नही है, इसलिए छोलू को कलमजन कर उसके स्थान पर लालू दर्ज करने बाबत तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत मालपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/82 /13	19.03.2013	14.06.2018

उनवान

1. मु0 रेशमा बाई पत्नी अनिल कुमार उर्फ पप्पूराम जाति ओड राजपूत।
2. गोलू पुत्र अनिल कुमार उर्फ पप्पूराम जाति ओड राजपूत।
3. लालू पुत्र अनिल कुमार उर्फ पप्पूराम जाति ओड राजपूत नाबालिग जर्ये मात व सरपरस्त मु0 रेशमा निवासीगण सहजपुर हाल निवासी मूंडियाखेडा तहसील किशनगढ जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 808 रकबा 0.16 हैक्ट0 का 1/5 भाग तथा 804 रकबा 0.27 हैक्ट0 सालिम व 792 रकबा 0.54 हैक्ट0 का 3/4 भाग ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण अनिल कुमार के नाम के आगे उर्फ पप्पूराम व वादी सं0 1 व उसके पति अनिल कुमार के छोलू नाम की कोई सन्तान नही है, इसलिए छोलू को कलमजन कर उसके स्थान पर लालू दर्ज करने बाबत तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)